

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत कार्मिक विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण करने के उपरांत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए-5(51)कार्मिक/क-2/88-1 दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार **18 कनिष्ठ सहायक पद एवं 07 सहायक कर्मचारी पद** के कुल **25** अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अंतर्गत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटन किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जांच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें। (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. दत्तक पुत्र, पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2) डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनीज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनेरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती है।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
10. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2(2)वित्त (नियम) 2021 पार्ट जयपुर दिनांक 25.05.2022 एवं 26.05.2022 तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि की नियमानुसार मासिक कटौती की जावेगी।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.21 15:37:33 IST
Reason: Approved



13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ ए-11/ 2006 दिनांक 05.07.2010 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.2010 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानांतरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.2010 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जायेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे। इन्हें आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।
15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।
16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-11/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
17. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।
18. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5 (51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
19. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिस पर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।
20. राज्य सरकार के आदेशानुसार धूम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।
21. जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग/शासन से शिथिलन प्राप्त है, उन प्रकरणों में प्राप्त शिथिलन में निहित शर्तों की अनुपालना की जावें।
22. जिन प्रकरणों में शिथिलन प्रदान किया गया है एवं जो अन्य विभाग के होने के कारण कार्मिक विभाग से प्राप्त हुए हैं उसमें शिथिलन आदेश में वर्णित शर्तों एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त होने वाले प्रकरणों में कार्मिक विभाग के पत्र में वर्णित शर्तों की अनुपालना होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। इस हेतु नियुक्ति आदेश जारीकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
23. विधवा आवेदक के प्रकरणों में यदि पति की जाति जोड़कर आवेदन किया गया है तो नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व अपने स्तर पर नाम विसंगति के संदर्भ में पूर्ण पुष्टि करते हुए पुष्टि होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें तथा विवाहित आवेदक के संबंध में नियम-5 का जिशिअ का प्रमाण पत्र, आवेदक का शपथ पत्र एवं आवेदक की पत्नी का नियम-5 का शपथ पत्र प्राप्त करें। अविवाहित आवेदक के संदर्भ में वैवाहिक स्थिति का अद्यतन शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें। यदि वैवाहिक स्थिति में अंतर है तो आवेदक के आश्रितों के संबंध में नियम-5 के समस्त दस्तावेज (आवेदक व आवेदक की पत्नी का शपथ पत्र, आवेदक के आश्रित परिवार के संबंध में जिशिअ का प्रमाण पत्र) प्राप्त होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.21 18:37:33 IST
Reason: Approved



24. आवेदक की जन्मतिथि के संबंध में नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर प्रथमतः शैक्षणिक योग्यता/टीसी (सक्षम स्तर से प्रमाणित) एवं केवल, आवेदक के विद्यालय प्रवेश नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी जन्म प्रमाण पत्र से पुष्टि करने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें ।

25. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11-5-2023 के अनुसार राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के समय प्रत्येक कार्मिक से निम्न आशय का शपथ पत्र भी लिया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावे :-

"मैं शपथ लेता हूँ/लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालना करूंगा/करूंगी। (अतः ईश्वर मेरी सहायता करें)"

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी है, अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुवे संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाएँ एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियाँ संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर, एक प्रति संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

स्थिर पारिश्रमिक (कनिष्ठ सहायक 14,600/-रु. मासिक एवं सहायक कर्मचारी 12,400/-

| क्र. सं. | आवेदक का नाम, योग्यता व जन्मतिथि | मृतक से सम्बन्ध | आवेदन तिथि व आवेदित पद | मृतक का नाम मय पदनाम श्री/श्रीमती | संबंधित जिला स्व. | आवंटित जिला |
|----------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | फोजराज सिंह सी.सै. 08.05.2001 | पुत्र | 12-04-2023 कनिष्ठ सहायक | गायड़ सिंह चश्रेक माशि | जोधपुर | जोधपुर |
| 2 | आकाश दीक्षित बी.ए. 17.11.1997 | पुत्र | 27-05-2023 कनिष्ठ सहायक | कुसुमलता सनादय अ माशि | राजसमन्द | राजसमन्द |
| 3 | फतहलाल भील सी.सै. 12.10.2001 | पुत्र | 22-02-2023 कनिष्ठ सहायक | मोतीलाल भील प्र.शा.सेवक माशि | राजसमन्द | राजसमन्द |
| 4 | प्रियंका श्रीमाली एम.ए. 13.07.1987 | विवाहित पुत्री | 03-12-2021 कनिष्ठ सहायक | हेमलता श्रीमाली व.अ. माशि | राजसमन्द | उदयपुर |
| 5 | डालचन्द माटिया बी.ए. 05.07.1983 | पुत्र | 17-10-2022 कनिष्ठ सहायक | तुलसीराम मेघवाल अ. माशि | राजसमन्द | राजसमन्द |
| 6 | संजय डामोर सी.सै. 08.06.2001 | पुत्र | 06-01-2023 कनिष्ठ सहायक | लक्ष्मणलाल डामोर अ.माशि | बांसवाड़ा | बांसवाड़ा |
| 7 | प्रवीणा खांट बी.ए. 16.02.1991 | पुत्री | 21-06-2021 कनिष्ठ सहायक | लालसिंह खांट व.शा.शि. माशि | बांसवाड़ा | बांसवाड़ा |
| 8 | वर्षा जैन बी.ए. 30.09.1979 | पत्नी | 20-02-2023 कनिष्ठ सहायक | मनोहर कुमार जैन व्या. माशि | बांसवाड़ा | बांसवाड़ा |

Digitally signed by Karam Ram

Designation: Director

Date: 2023.07.21 15:37:33 IST Page 3 of 6

Reason: Approver

RajKaj Ref No. : 4347337



| क्र. सं. | आवेदक का नाम, योग्यता व जन्मतिथि | मृतक से सम्बन्ध | आवेदन तिथि व आवेदित पद | मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री / श्रीमती | संबंधित जिला | आवंटित जिला |
|----------|--|-----------------|----------------------------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | श्रेष्ठा भारद्वाज एम.ए. 28.07.1998 | पुत्री | 26-04-2022 कनिष्ठ सहायक | अरविन्द भारद्वाज प्रधानाचार्य माशि | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ |
| 10 | रघु प्रताप सिंह सी.सै. 01.01.1992 | पुत्र | 24-11-2022 कनिष्ठ सहायक | रविन्द्र सिंह अ. माशि | जयपुर | जयपुर |
| 11 | निशा बी.ए. 01.07.1998 | पत्नी | 24-06-2022 कनिष्ठ सहायक | राहुल यादव कानि. क-2 | जयपुर | जयपुर |
| 12 | संजय मीणा बी.ए. 15.07.1996 | पुत्र | 03-01-2022 कनिष्ठ सहायक | बाबुलाल मीणा कानि. क-2 | अलवर | अलवर |
| 13 | सुनीता सी.सै. 01.01.1973 | पत्नी | 06-01-2023 कनिष्ठ सहायक | सर्वानन्द सिंह स.प्र.अ. माशि | भरतपुर | भरतपुर |
| 14 | विनोद कुमार सी.सै. 02.10.1993 | पुत्र | 19-04-2023 कनिष्ठ सहायक | रणवीर राम अ. माशि | श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर |
| 15 | शुभम पारीक सी.सै. 06-9-1996 | पुत्र | 17-9-2018 कनिष्ठ सहायक | रवि कुमार पारीक क.स., माशि | श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर |
| 16 | विकास कुमार इन्दलिया बी.ए. 21.02.1992 | पुत्र | 24-12-2022 कनिष्ठ सहायक | तुलसी राम अ. माशि | चूरु | चूरु |
| 17 | अजय निमेलिया बी.ए. 03.12.1995 | पुत्र | 07-10-2022 कनिष्ठ सहायक | प्रताप निमेलिया प्र.अ. माशि | बीकानेर | चूरु |
| 18 | संगीता श्रीवास्तव एम.ए. 05.08.1988 | पत्नी | 08-04-2023 कनिष्ठ सहायक | प्रशान्त माधुर क.स. माशि | सीकर | सीकर |
| 19 | रामप्यारी साक्षर 01.07.1978 | पत्नी | 28-05-2022 च.श्रे.क | कल्याण लाल गुर्जर अ माशि | बून्दी | बून्दी |
| 20 | पिंकी कंवर साक्षर 28.11.1988 | पत्नी | 20-07-2021 च.श्रे.क | देवेन्द्र सिंह क.स. क-2 | बून्दी | कोटा |
| 21 | गोविन्द माली उरी उत्तीर्ण 10.08.1989 | पुत्र | 14-01-2023 च.श्रे.क | प्रभुलाल माली चश्रेक माशि | भीलवाड़ा | भीलवाड़ा |

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.21 19:37:33 IST
Reason: Approved Page 4 of 6

RajKaj Ref No. : 4347337



| क्र. सं. | आवेदक का नाम, योग्यता व जन्मतिथि | मृतक से सम्बन्ध | आवेदन तिथि व आवेदित पद | मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती | संबंधित जिला | आवंटित जिला |
|----------|--|-----------------|------------------------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | चमेली देवी साक्षर 01.01.1975 | पत्नी | 06-01-2023 च.श्रे.क | जयदयाल मीना व.अ. माशि | अलवर | अलवर |
| 23 | लीलावती 6ठी उत्तीर्ण 20.10.1970 | पत्नी | 15-11-2022 च.श्रे.क | मुकेश कुमार शर्मा अ.माशि | अलवर | अलवर |
| 24 | संतोष गुर्जर 5वी उत्तीर्ण 02.05.1991 | पत्नी | 06-04-2022 च.श्रे.क | राजेश कुमार गुर्जर कानि क-2 | दौसा | दौसा |
| 25 | सुगना देवी बैरवा साक्षर 01.01.1992 | पत्नी | 28-11-2022 च.श्रे.क | कमलेश बैरवा अ.माशि | बीकानेर | दौसा |

नोट :

- क्र.सं. 13 व 19 के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा वांछित शिथिलन प्राप्त हैं।
- क.सं. 04 पर अंकित प्रकरण में डीबी सिविल याचिका सं. 14345/2021 में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.10.2022 एवं संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ) विभाग,जयपुर के पत्रांक प. 17(21)माध्य/शिक्षा-2/वि.प्रा./2023 जयपुर दिनांक:04.05.2023 द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अपील दायर नहीं करने के प्राप्त निर्देशों के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति का अनुमोदन किया गया है।

(काना राम)

I.A.S.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक : 21/07/2023

क्रमांक : शिविरा-माध्य/अनु.नियु./61217/नियुक्तिमूल/2023/150-155

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग
- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय.....को उल्लेखित.....अभ्यर्थियों

का आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित समस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए रिक्त पद के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी कराने का सुनिश्चित कर जारी आदेशों की प्रति एवं कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय को उपयुक्त रूप से प्रेषित करें।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram

Designation: Director

Date: 2023.07.21 18:37:33 IST Page 5 of 6

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4347337



8. श्री को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय कार्यालय में देकर पावती प्राप्त करें।
9. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक)
10. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
11. रक्षित पत्रापत्नी

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.21 19:37:33 IST Page 6 of 6
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4347337

